फर्द अहकाम

शांति देवी बनाम गोपाल व अन्य

...ालय

...ख्या 18/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/8/22	प. ज. उप.। पत्रावली में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर करेफारो रिपोर्ट दिनांक 27.12.21 के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली के शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:50 IST
Reason: SelfAttested

[signature] सीमा खेतान

[न्या]यालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

[पी]ठासीन अधिकारी :— सीमा खेतान

[वा]द सं. 18/2021

उनवान

1. शांति देवी पत्नी गोपाल, जाति बागडा निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

——वादीया

बनाम

1. गोपाल पुत्र आसला जाति बागडा, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. दण्ड गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर, रजिस्ट्रेशन नम्बर 2607/एल जरिये अध्यक्ष/मंत्री/संयोजक श्री देवीलाल सैनी पुत्र हरिनारायण सैनी, जाति माली, निवासी 61, डूँगरीवाली ढाणी, नांगल रोड, आमेर (जयपुर)।
3. उपपंजीयक चौमूं रेल्वे स्टेशन रोड चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांकः— 17.08.2022

पत्रावली पेश हुई। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 10.12.2021 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 27.12.2021 को कुरेजात प्राप्त हुए है। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा तहसीलदार तहसील चोमू से प्राप्त कुरेजात दिनांक 27.12.2021 के अनुसार वादी वाद अन्तिम डिक्री करवाये जाने के लिए निवेदन किया। अतः वादीया का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 27.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 989 रकबा 0.92 हैक्टेयर वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. गोपाल पुत्र आसला हिस्सा पूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण सा0देह को खसरा नम्बर 989/1 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म चा[illegible] कुल रकबा 0.50 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया [illegible] जाती हैं।
2. शान्ति देवी पत्नी गोपाल [illegible] सा0देह को खसरा नम्बर 989/2 रकबा 0.42 हैक्टेयर किस्म चाही [illegible] किता 01 का कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का [illegible] रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:50 IST
Reason: SelfAttested

सीमा खेतान
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास सीमा खेतान आरएएस

1. शांति देवी पत्नी गोपाल, जाति वागडा निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

——वादीया

वनाम

1. गोपाल पुत्र आसला जाति वागडा, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. दण्ड गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर, रजिस्ट्रेशन नम्बर 2607 / एल जरिये अध्यक्ष / मंत्री / संयोजक श्री देवीलाल सैनी पुत्र हरिनारायण सैनी, जाति माली, निवासी 61, डूंगरीवाली ढाणी, नांगल रोड, आमेर (जयपुर)।
3. उपपंजीयक चौमूं रेल्वे स्टेशन रोड चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 18 / 2021

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूवरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूवरू सीमा खेतान आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :—

1. गोपाल पुत्र आसला हिस्सा पूर्ण जाति वागडा ब्राहम्ण सा0देह को खसरा नम्बर 989 / 1 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म चाही ए, कुल किता 01 का कुल रकबा 0.50 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. शान्ति देवी पत्नी गोपाल हिस्सा पूर्ण जाति वागडा ब्राहम्ण सा0देह को खसरा नम्बर 989 / 2 रकबा 0.42 हैक्टेयर किस्म चाही ए, कुल किता 01 का कुल रकबा 0.42 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 17.08.2022 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा...........

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकील			[illegible]		
खर्चा गवाहन			[illegible]		
फीस कमिश्नर			[illegible]		
बावत इजराय हुक्मनामा			[illegible]		
मुतफरिक			[illegible]		
मीजान	3		मीजान	1	

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:50 IST
Reason: SelfAttested

नोटः— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

मुल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूं
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गावों के संघ अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– राहुल जैन

उनवान

1. शांति देवी पत्नी गोपाल, जाति बागडा निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––वादीया

बनाम

1. गोपाल पुत्र आसला जाति बागडा, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. दण्ड गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर, रजिस्ट्रेशन नम्बर 2607/एल जरिये अध्यक्ष/मंत्री/संयोजक श्री देवीलाल सैनी पुत्र हरिनारायण सैनी, जाति माली, निवासी 61, डूँगरीवाली ढाणी, नांगल रोड, आमेर (जयपुर)।
3. उपपंजीयक चौमूं रेल्वे स्टेशन रोड चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर :– 18/2021

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू राहुल जैन आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रा0 डिक्री दी जाती है कि विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 989 रकबा 0.92 हैक्टेयर वाके ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में वादीया एवं प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्से अनुसार कब्जेकाश्त को प्राथमिकता देते हुए, मकानात/रहवास, खामघर इत्यादि को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस एवं सभी खातेदारों को रास्ते की सुविधा उपलब्ध करवाते हुए तकासमा किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिये जाते है। प्रा. डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमू को भेजी जावें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 10.12.2021 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा चौमूं, जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:26:50 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपये	पैसे	दाई	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	2		स्टाम्प वकालतनामा	3	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	4		मीजान	3	

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर